

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

आवास फायनेन्सियर्स लिमिटेड, (जो पूर्व में हाउसिंग फाईनेन्स लि0 के नाम से जाना जाता था), मुख्य कार्यालय 201-202, द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्व्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर में स्थित होकर कार्यरत है, जरिये अधिकृत प्रतिनिधी सद्दाम हुसैन चौहान पिता दाउद अली चौहान निवासी वार्ड नं. 4, तारा नगर, चुरु (राज.) 331304
- प्रार्थी

बनाम

1. श्री बद्रीलाल पिता श्री दुर्गा जी बंजारा निवासी छोगा बा जी का खेडा, मेणिया, सादडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.) 313329

बन्धक सम्पत्ति :- श्री बद्रीलाल पिता श्री दुर्गा जी बंजारा

पट्टा नं. 7451, संकल्प नं. 5, ग्राम छोगा बा जी का खेडा, मेणिया, सादडी, तहसील रेलमंगरा, जिला राजसमन्द

- ऋणी एवं बन्धककर्ता

2. श्रीमती नन्दू पत्नी श्री बद्री निवासी निवासी छोगा बा जी का खेडा, मेणिया, सादडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.) 313329

-सहऋणी

3. श्री करमचन्द पिता श्री चन्दा बंजारा, निवासी छोगा बा जी का खेडा, मेणिया, सादडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.) 313329

-जमानती

-विपक्षीगण

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 22/2021

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
	<p>दिनांक 05.10.2021</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी आवास फायनेन्सियर्स लिमिटेड जयपुर ने दिनांक: 05.08.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>विपक्षी संख्या ने विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने प्रार्थी वित्तीय संस्थान से दिनांक 07/07/2015 को 6,00,000/- रूपये अक्षरे छः लाख रूपये का ऋण लिया था, जिसका विपक्षी संख्या 3 जमानतदार है। विपक्षी संख्या 1 ने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्युरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पास रहन रखा है और उस पर निर्मित भवन व ढांचा आदि भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है :- बन्धक सम्पत्ति का विवरण:- श्री बद्रीलाल पिता श्री दुर्गा जी बंजारा पट्टा नं. 7451, संकल्प नं. 5, ग्राम छोगा बा जी का खेडा, मेणिया, सादडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द में स्थित है, जिसमें भूमि व</p>	

M

ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 1656.00 वर्ग फुट हैं, जिसकी चतुर्सीमा निम्न प्रकार हैं:- पूर्व - आम रास्ता, पश्चिम - स्वयं की जमीन, उत्तर - स्वयं की जमीन, दक्षिण - आम रास्ता विपक्षीगण नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था में उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके हैं और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर अतिक्रमण आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। विपक्षीगण के खाते में बकाया राशि 6,90,699.41/- रूपये अक्षरे छह लाख निब्बे हजार छह सौ निन्यानवे रूपये इकतालिस पैसे शेष दिनांक 06/04/2021 तक देय है व दिनांक 06/04/2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी आवास फयनेन्सयर्स लिमिटेड में उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 07/04/2021 का टंकित नोटिस दिनांक 15/04/2021 को विपक्षीगण को प्रेषित किया गया एवं समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराया गया। विपक्षीगण को नोटिस प्राप्त हो जाने और जानकारी होने के पश्चात् भी उक्त देय राशि का भुगतान विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को नहीं किया है। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी को नहीं किया हैं। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कलम संख्या 2 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिनांक 18/12/2015 को भारत का राजपत्र असाधारण भाग- 2, खण्ड 3, उपखण्ड 2 में प्रकाशित अधिसूचना के तहत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार धारा 14 में जो संशोधन हुआ, वो निम्न प्रकार से है :-

Inserted by Act 44 of 2016, Section 12(i) (w.e.f. 1-9-2016)

Provided further that on receipt of affidavit from the Authorised Officer, the District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall after satisfying the contents of affidavit pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured assetes [within a period of thirty days from the date of application]

[Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but



Handwritten signature in blue ink.

not exceeding in aggregate sixty days.]

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 07/04/2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में दिनांक 08/04/2021 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया जिसकी प्रति पेश की गयी। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी आवास फायनेन्सियर्स लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति :- श्री बद्रीलाल पिता श्री दुर्गा जी बंजारा पट्टा नं. 7451, संकल्प नं. 5, ग्राम छोगा बा जी का खेडा, मेणिया, सादडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द में स्थित है, जिसमें भूमि व ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 1656.00 वर्ग फुट हैं, जिसकी चतुर्सीमा निम्न प्रकार हैं:- पूर्व - आम रास्ता, पश्चिम - स्वयं की जमीन, उत्तर - स्वयं की जमीन, दक्षिण - आम रास्ता है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आवास फायनेन्सियर्स लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी आवास फायनेन्सियर्स लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

